विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) तारीख 31-10-1992 को गुजरात उच्च न्यायालय में दुर्घटना दावा के 3608 मामले लंबित थे । जिला न्यायालयों के बारे में इसी प्रकार की जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) बकाया मामला समिति, जिसने न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या की समीक्षा की थी, द्वारा की गई सिफारिशें, जिनमें न्यायपालिका में अधिकारिता विषयक और प्रक्रियात्मक उपान्तरण सुधार; न्यायालयों में कार्यालय उपस्करों के आधुनिकीकरण सहित अवसंरचनात्मक सुविधाओं और न्यायालयों में दिन-प्रतिदिन के कार्य में सुधार; सुलह न्यायालयों की स्थापना और इसे मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों आदि के समक्ष कार्यवाहियों को भी लागू करना, जैसे विभिन्न पहलू सम्मिलित हैं, गुजरात उच्च न्यायालय सहित सभी संबद्ध राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेज दी गई है ।

लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्य-विधानमंडलों के चुनाव

1287. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जनवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार लोक सभा, राज्य सभा तथा राज्य-विधान मंडलों में कुल कितने स्थान रिक्त हैं और इन स्थानों के लिए कब तक चुनाव कराए जाने की संभावना है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : रिक्त स्थानों की बाबत जानकारी निम्नलिखित है :--

लोक सभा--बारह

राज्य सभा--नौ

राज्य विधान सभाएं--पैंतीस

राज्य विधान परिषदें--सैंतालीस

निर्वाचन आयोग लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के सभी उन रिक्त स्थानों पर, जहां न्यायालय का आदेश नहीं है, अप्रैल और मई, 1993 में निर्वाचन कराने के लिए पहले ही कदम उठा चुका है । जम्मू-कश्मीर में लोक सभा के छह स्थानों पर, विधि और व्यवस्था की स्थिति अनुकूल होते ही, निर्वाचन करा लिए जाएंगे । जहां तक राज्य सभा और राज्य विधान परिषदों में रिक्त स्थानों का संबंध है तीन रिक्त स्थानों को छोड़कर, अन्य सभी की बाबत निर्वाचक-गण विद्यमान नहीं हैं । दो रिक्त स्थानों के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और तीसरे स्थान से संबंधित मामला न्यायाधीन है ।

Legal provisions to discourage non-serious contestants in general (elections

1288. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether large number of contestants in a constituency poses difficulties in conducting elections; and

(b) if so, what action is proposed to be taken by Government ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) Yes, Sir.

(b) Certain provisions such as increasing the security deposit, increase in the number of proposers etc. are under consideration of the Government to discourage non-serious candidates from contesting elections.

मतदाताओं को पहचान पत्र दिया जाना

1289. **श्री सोमपाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदाताओं को पहचान-पत्र जारी करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(घ) इस कार्य पर अनुमानत: कितनी राशि व्यय होगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) और (ख) मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के विचाराधीन है । सिक्किम और नागालैंड राज्यों में इसके पूर्व चयनात्मक आधार पर कार्यान्वित की गई पहचान पत्र जारी किए जाने की स्कीम को लागू करने के अनुभव के आधार पर, निर्वाचन आयोग की यह राय है कि केवल मतदान के प्रयोजन के लिए फोटो पहचान पत्र जारी करने से कोई सार्थक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा; इसके बजाय सभी नागरिकों को उनकी व्यक्तिगत पहचान, जहां कहीं भी अपेक्षित हो, स्थापित करने के प्रयोजन के लिए बहुउद्देशीय पहचान पत्र जारी किए जाने चाहिए ।

(ग) और (घ) सभी नागरिकों को ऐसे बहुउद्देशीय फोटो पहचान पत्र जारी करने की संभाव्यता अभी स्थापित की जानी है और यह बताना संभव नहीं है कि इस बारे में कब तक अंतिम विनिश्चय किया जाएगा या उस पर कितना व्यय होगा ।

Amnesty in petty criminal cases pending in courts of Madhya Pradesh

1290 SHRI ANANT RAM JAISWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Madhya Pradesh Government had taken a decision to grant amnesty in petty criminal cases, pending in courts till 1987 and thereby saving approximately Rs. 1 crore every year on account of the cost of holding trails; and

(b) the number of petty criminal cases in the courts of Madhya Pradesh and the cases pending in the country State-wise, as on the December, 1992 ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) and (b) The information *is being collected* and will be laid on the Table of the House. 10—148RSS/94

Pending cases in High Courts and Supreme Court

1291. SHRI AN ANT RAM JAISWAL SHRI PRAMOD MAHAJAN : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

i (a) the number of cases pending in each High Court and the Supreme Court of India, as on 3lst January, 1993;

(b) the year to which the oldest case pertains to in each of the High Courts and

! Supreme Court;

i (c) whether there is any action plan to clear all the cases in a time bound period;

(d) if so, what are the details thereof;

(e) what is the justification to close the courts for summer and winter vacations when a large number of cases are pending in the various courts; and

(f) whether Govemment would like *to* have a fresh look on this matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. BHARDWAJ) : (a) and (b) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d) The various recommenda tions made by the Arrears Committee, which examined the problem of arrears in the Courts, covering various aspects have been commended to all concerned State Governments/High Courts for necessary follow-up action. As per the decis.on taken in the Law Ministers Conference held in October, 1992 at Bangalore, three working groups of the State Law Ministers have been constituted to suggest measures for the implementation of the recommen dations of the Arrears Committee so as to expedite the disposal of pending cases in the Courts. However, it is not practicable to prescribe a time schedule for the dis posal of pending cases in the Courts.

(e) and (f) on the basis of the observations made by the Estimate Committee, the Supreme Court had increased its working days from 220 to 222 (including Saturdays). The Chief Justices' Conference held in 1987 did not accept the suggestion for further increasing the working days